संख्या-993 /IX-2-2009-12(12)/2007

प्रेषक,

आर0के0मिश्र
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 18 मई, 2009

विषयः-वर्ष 2009-10 हेतु लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान सं0-30 "एस0सी0एस0पी0" कम्पोनेंट में वन विभाग की आयोजनागत पक्ष की "सिविल एवं सोयम वनों का विकास" योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक योजना हेतु लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि, मुख्य वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के पत्र सं0-नि.951/35-1(अनु.जा.उपयोजना) दिनांक 15 जनवरी, 2009, पत्र सं0-नि.1326/35-1(अनु.जा.उपयोजना) दिनांक 26 मार्च, 2009 तथा मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के पत्र सं0-1258/SCPGen दिनांक 06 मार्च, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की **"सिविल एवं सोयम वनों का विकास"** योजना की अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में संलग्न तालिका में अंकित विवरणानुसार **रू0 1,59,67,000/- (रू0 एक करोड़ उनसठ लाख सरसठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का आहरण/व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जाय तथा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आहरण/व्यय करना योजना के हित में है, वित्तीय दृष्टिकोण से उचित है तथा स्वीकृत परिव्यय की सीमान्तर्गत है.
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-205/XXVII(1)/2009, दिनांक 25 मार्च, 2009 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति / यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. निर्माण कार्य सम्बन्धी आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोद. पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा यथा-आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय. वी.एम.-13, 17 पर धनराशि व्यय / अवमुक्ति सम्बन्धी सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्तपुस्तिका में अंकित सुसंगत नियमों/प्रतिबन्धों, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
3. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो समक्ष स्तर से सहमति/स्वीकृति ली जाय.
4. धनराशि का आहरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उपयोजना के अन्तर्गत लिये गये कार्य निर्धारित मानकों को पूरे करते हैं व सम्बन्धित ग्रामों व लक्ष्य समूहों के लाभ हेतु ही क्रियान्वित किये जा रहे हैं। सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अन्तर्गत चयनित ग्रामों / कार्यों का उपयोजना के मानकों के अनुरूप होने सम्बन्धी सत्यापन रिपोर्ट शासन के समाज कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराई जाय.
5. कार्यों की डुप्लिकेसी रोकने तथा एक ही स्थल पर अलग-अलग योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों के चयन होने की सम्भावना समाप्त करते हुए भौतिक सत्यापन / स्थलीय निरीक्षण की समग्र रिपोर्ट विभागाध्यक्ष द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाय. वन विभाग द्वारा सीधे संचालित किये जा रहे कार्यों के विरूद्ध लक्ष्य समूहों को प्राप्त लाभ तथा उपलब्धि की सत्यापन रिपोर्ट सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाय.

क्रमशः.....2

6. योजना / परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप अनुसूचित जाति के स्थानीय निवासियों की सहभागिता सहित उक्त ग्रामों एवं समूहों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाय.
7. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
9. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखानुदान के अनुदान सं0-30 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 0203-"सिविल एवं सोयम वनों का विकास" योजना की निम्नलिखित मदों के नामे डाला जायेगा-

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र.सं.	मानक मद	वर्तमान स्वीकृति
1	24-वृहत निर्माण	12800
2	29-अनुरक्षण	3167
	योग	**15967**

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-41(P)/XXVII(4)/2008, दिनांक 11 मई, 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
/
(आर0के0मिश्र)
अपर सचिव

संख्या-493 (1)/x-2-2009, तद्‌दिनांकत.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. मुख्य वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद, देहरादून.
5. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन.
6. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन.
9. आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल.
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. प्रभारी, मिडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,
(अहमद अली)
अनु सचिव

शासनादेश सं0 993 /X-2-2009-12(12)/2007 दिनांक 18 मई, 2009 का संलग्नक-

(धनराशि रू0 हजार में)

क0सं0	विभाग से प्राप्त प्रस्ताव/ प्रोजेक्ट का विवरण	वन प्रभाग	प्रोजेक्ट की कुल धनराशि	वर्तमान स्वीकृति
1	2	3	4	6
1	नि. 498/35-1 दिनांक 07-10-2006	मू0स0 रामनगर	1047	50
		मू0स0 रानीखेत	2644	100
		बागेश्वर	2324	100
		प्र0व0 अल्मोड़ा	8465	800
		प्र0व0 चम्पावत	7906	300
		तराई पूर्वी	1590	8
		प्र0व0 मसूरी	23187	1500
		प्र0व0 अपरयमुना	6070	250
		प्र0व0 टोन्स	21925	750
		टिहरी डैम प्रथम	5502	500
	योग		80660	4358
2	नि. 81/35-1-बी दिनांक 26-7-2005	बांस एवं रिंगाल वृक्षारोपण से सम्बन्धित विभिन्न प्रभाग	242600	11609
	कुल योग		323260	15967

(रू0 एक करोड़ उनसठ लाख सरसठ हजार मात्र)

(आर0के0मिश्र)
अपर सचिव